न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 144/2010/डिक्री

1. रतनलाल पिता लक्ष्मण धोबी
2. कैलाशी पिता लक्ष्मण धोबी
3. रामकन्या पत्नि लक्ष्मण धोबी
4. गोपीलाल पिता शंकरलाल धोबी
5. तुलसीबाई पत्नि शंकरलाल धोबी
6. पार्वती पुत्री शंकरलाल धोबी

सभी निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पिता मागीलाल धोबी
   निवासी संगम रोड, शिवलोक कॉलोनी चित्तौड़गढ़
2. रूपा पिता ठाकरा धोबी
   निवासी नारकोटिक्स कॉलोनी के पीछे चित्तौड़गढ़
3. मोहनलाल पिता शंकरलाल धोबी—फौत
4. जगदीश पिता रामलाल धोबी
   निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर चित्तौड़गढ़
5. सीता पुत्री रामलाल धोबी
   निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम निवासी सांगानेर भीलवाडा।
6. बालीबाई पुत्री रामलाल पत्नि बंशीलाल धोबी
   निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर चित्तौड़गढ़
7. सुशीला पुत्री रामलाल पत्नि श्याम धोबी
   निवासी लक्ष्मीपुरा भीलवाडा।
8. मु0 चांदी बाई पत्नि रामलाल धोबी
9. सोहनलाल पिता धन्ना धोबी
   दोनो निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर चित्तौड़गढ़
10. भगवानी पुत्री धन्ना पत्नि शंकरलाल धोबी
    निवासी कीरखेडा चित्तौड़गढ़
11. रामकन्या पत्नि धन्ना धोबी
12. भंवरलाल पिता भज्जा धोबी
    दोनो निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर चित्तौड़गढ़
13. हेमराज पिता भज्जा धोबी
    निवासी आदर्श कॉलोनी चित्तौड़गढ़
14. बंशीलाल उर्फ किशन पिता भज्जा धोबी
    निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर चित्तौड़गढ़
15. शांतिलाल पिता भेरू धोबी
    निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

16. लादीबाई पुत्री भेरू धोबी
    निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
17. नाथीबाई पुत्री भेरूलाल धोबी
    निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर चित्तौड़गढ़
18. नगरपालिका चित्तौड़गढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका
    चित्तौड़गढ़
19. राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 25.08.2010 प्रकरण सं. 142/2009

उपस्थित — 1. श्री चन्दनमल जणवा — अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा — राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक— 30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से मौजा चित्तौड़गढ़ मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 17 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात आराजी नम्बर 2179, 2180, 2181, 2182 कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 है0 एवं आचाह स्थित है। जिसमे अपीलान्ट/वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 4 से 14 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 15 से 17 का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात की साबिक आराजी नम्बर 1474, 1475, 1476 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी जो पक्षकारान की पैतृक कृषि आराजीयात है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा विवादित आराजीयात का गलत रूप से हस्तान्तरण कर दिया व तत्पश्चात् क्रेतागण ने विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे रूपान्तकरण की कार्यवाही करा रूपान्तरण करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,8,10,11,12,15,17 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत हुआ जिस पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 15 की पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे अपीलान्टगण का हक व हिस्सा निहित है व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से भी विवादित आराजीयात कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र की ताईद मे ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया जिसमे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजीयात कृषि भूमि नही होकर आबादी भूमि दर्ज रेकार्ड हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को नजर अंदाज कर अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से मौजा चित्तौड़गढ़ मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 17 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात आराजी नम्बर 2179, 2180, 2181, 2182 कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 है0 एवं आचाह स्थित है। जिसमे अपीलान्ट/वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 4 से 14 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 15 से 17 का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात की साबिक आराजी नम्बर 1474, 1475, 1476 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी जो पक्षकारान की पैतृक कृषि आराजीयात है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा विवादित आराजीयात का गलत रूप से हस्तान्तरण कर दिया व तत्पश्चात् क्रेतागण ने विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे रूपान्तकरण की कार्यवाही करा रूपान्तरण करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,8,10,11,12,15,17 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत हुआ जिस पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 15 की पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे अपीलान्टगण का हक व हिस्सा निहित है व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से भी विवादित आराजीयात कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद मे ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया जिसमे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजीयात कृषि भूमि नही होकर आबादी भूमि दर्ज रेकार्ड हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को नजर अंदाज कर अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद

पेश है। अतः अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित फरमाया जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि यह मामला भूमि रूपान्तरण से सम्बन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि विवादित कृषि भूमि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 15 की पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे अपीलान्टगण का हक व हिस्सा निहित है व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से भी विवादित आराजीयात कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद मे ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया जिसमे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजीयात कृषि भूमि नही होकर आबादी भूमि दर्ज रेकार्ड हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को नजर अंदाज कर अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 142/2009 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25/08/2010 अपास्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण उभयपक्षो की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ